पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001

CIN : L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 7 September, 2022

PGCIL/R/T/22/00058; 00059; 00268; 00060 & 00061

SHRI PRAHLAD SINGH SOLANKI,
N 33 GOVIND NAGAR, RHB COLONY KANKROLI, RAJSAMAND, Pin:313342 Rajasthan

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 8 August, 2022; 10 August, 2022 तथा 16 August, 2022 क्रमश: को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध पत्रों का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-I में संलग्न है ।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

07/09/22

(ए. जगन्नाथ राव)
वरिष्ठ महाप्रबंधक (कें.आयोजना) एवं
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

अनुलग्नक-I
Pg 1/2

विषय: श्री प्रह्लाद सिंह सोलंकी, राजसमंड, राजस्थान द्वारा मांगी गई सूचना का जवाब:

मांगी गई सूचना:	जवाब:
पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम) के प्रबंधन दवारा जेम पोर्टल पर करवाये जा रहे वार्षिक अनुबंध (AMC कॉन्ट्रैक्ट मैनपावर सर्विस) की निविदा प्रक्रिया की नई नीति (पॉलिसी) नियम व शर्तों के अनुसार एक से अधिक बोलीदाता (वेंडर) एक सामान बोली लगाने के कारण एक से अधिक (L1) होने पर पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रबंधन उच्चतम वितिय क्षमता (MAAT) वाले वेंडर को निविदा के कार्यादेश जारी किया जा रहे हैं। जिसके कारण (MSME के सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के वेंडर) बेरोजगार होते जा रहे हैं। जिसके संधर्भ में ऐसा कोई लिखित आदेश जो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय या MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से जारी किया गया हो की लिखित राजकीय आदेश की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की कृपा करावे। जिसके कारण जेम पोर्टल दवारा उपरोक्त नियम के आधार पर निविदाओं के कार्यादेश जारी किये जा रहे।	प्रारंभ में, यह पुष्टि की जाती है कि पावरग्रिड ने अपनी निविदाओं में भारत सरकार की सूक्ष्म और लघु उदयमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति अधिसूचना को भारत के राजपत्र संख्या 503 दिनांक 26.03.2012 और इसके बाद के संशोधनों के माध्यम से शामिल किया है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयमों (एमएसई) विक्रेताओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान कर रहा है: (i) निशुल्क निविदा दस्तावेज जारी करना। (ii) ईएमडी/बोली प्रतिभूति के भुगतान से छूट। इसके अलावा, अपनी निविदाओं में एमएसई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, पावरग्रिड एमएसई को पात्र बोलीदाताओं के रूप में मानता है, भले ही वे टर्नओवर (एमएएटी) की निर्धारित अर्हता-योग्यता आवश्यकता का केवल 80% पूरा करते हों। जनशक्ति आधारित संविदाओं के लिए पावरग्रिड की एकसमान नीति को पावरग्रिड में कार्यान्वित किया गया था ताकि टाईब्रेकर समाधान के प्रयोजन के लिए पूरे भारत के क्षेत्रों के बीच सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया जा सके। यदि एक से अधिक एल1 बोलीदाता (मल्टीपल) थे, तो उच्चतम टर्नओवर (एमएएटी) टाई को हल करने के लिए मानदंड होगा। (English version of the reply is also enclosed)

*****

हरीश कुमार

English Version of the Reply to RTI Request of Shri Prahlad Singh Solanki, Rajasmand, Rajasthan

This has reference to query under RTI Act from Shri. Prahlad Singh Solanki under reference no PGCIL/R/T/22/58; 00059; 00268; 00060 & 00061, regarding Uniform Policy of POWERGRID for manpower-based Contracts. The reply to the above query is as under:

Reply:

At the outset, it is confirmed that POWERGRID has incorporated in its tenders, the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises notification of Govt. of India, vide Gazette of India No. 503 dated 26.03.2012 and its subsequent Amendments and is providing the following benefits to MSE Vendors:

(i) Issue of tender documents to MSEs free of cost.
(ii) Exemption to MSEs from payment of EMD/Bid Security.

In addition to this to encourage participation of MSE in its Tenders, POWERGRID considers MSEs as eligible bidders even if they meet only 80% of the stipulated Qualification requirement of Turnover (MAAT).

The Uniform Policy of POWERGRID for manpower-based Contracts was implemented in POWERGRID, to have a consistent approach among the Regions all over India for the purpose of tie- breaker solution. If there were more than one L1 Bidder (multiple), the highest Turnover (MAAT) will be the criteria to resolve the tie.